भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 259
दिनांक 05.12. 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों में कैदियों की अत्यधिक संख्या

†259. श्री लल्लू सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जेलों में कैदियों की अत्यधिक संख्या को कम करने और गरीब कैदियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश क्या हैं; और

(ग) योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा और स्थिति क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के तहत, 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति', 'राज्य सूची' के विषय हैं। अत:, कारागारों और कैदियों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की होती है। कारागारों में भीड़-भाड़ के मुद्दे का समाधान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) भारत सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में धारा 436क जोड़ी है, जिसमें किसी कानून के तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि की आधी अवधि की सजा काट लेने पर, किसी विचारणाधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है।

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में "प्ली बार्गेनिंग" (धारा 265क से 265ठ) पर एक नया "अध्याय XXIक" सम्मिलित करके "प्ली बार्गेनिंग" की अवधारणा शुरू की गई है, जो प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच विचारण-पूर्व बात-चीत की सुविधा प्रदान करती है।

(iii) ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर, जो "अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली" के साथ समेकित किया गया एक "कारागार प्रबंधन एप्लीकेशन" है, में राज्य जेल प्राधिकारियों को कैदियों के आंकड़े शीघ्र और कारगर तरीके से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है और यह उन कैदियों की पहचान करने में उनकी मदद करता है, जिनके मामलों पर "विचारणाधीन कैदी समीक्षा समिति" (अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी), आदि द्वारा विचार किया जाना है।

लोक सभा अता. प्र. सं. 259 दिनांक 05.12.2023

(iv) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए 'आदर्श कारागार मैनुअल 2016' में 'कानूनी सहायता' और 'विचारणाधीन कैदी', आदि पर विशेष अध्याय निहित हैं, जिनमें विचारणाधीन कैदियों को उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधाओं अर्थात कानूनी बचाव, वकीलों के साथ साक्षात्कार, सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता के लिए न्यायालयों में आवेदन करने आदि के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। इन विधिक सेवा क्लीनिकों का प्रबंधन पैनल में शामिल विधिक सेवा अधिवक्ताओं और प्रशिक्षित पैरा-लीगल स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। ये क्लीनिक इसलिए स्थापित किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कैदियों को उनका पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध हों और उन्हें कानूनी सहायता तथा सलाह उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता, प्ली बार्गेनिंग, लोक अदालतों और कैदियों के जमानत के अधिकार सहित उनके कानूनी अधिकारों, आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जेलों में जागरूकता शिविर आयोजित करता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विचारणाधीन समीक्षा समितियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की थी, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है, ताकि वे उसका बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें और कैदियों को राहत उपलब्ध करा सकें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर जारी की गई विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे के समाधान के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने हाल ही में "गरीब कैदियों को सहायता" नामक एक योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य ऐसे गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है, जो जुर्माने की राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं अथवा आर्थिक तंगी के कारण जमानत लेने में असमर्थ हैं।

योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने वाले 'दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया' को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है तथा उन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक 'अधिकार प्राप्त समिति' गठित करने की सलाह दी गई है, जो जमानत लेने अथवा जुर्माने के भुगतान, आदि के लिए प्रत्येक पात्र कैदी के मामले में वित्तीय सहायता की आवश्यकता का आकलन करेगी। अधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के आधार पर, जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उपयुक्त धनराशि को आहरित करेंगे और कैदी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। योजना के कार्यान्वयन के लिए 'दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया' गृह मंत्रालय की वेबसाइट: www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

*****